

जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धान्त

जितेन्द्र कुमार वर्मा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

ARTICLE DETAILS

Article History

Published Online: 16 Dec 2019

Keywords

उचितता, सद्गुण, न्याय

Corresponding Author

Email: jeetendra0709@gmail.com

ABSTRACT

19वीं सदी में उपयोगितावाद के विकास व विस्तार के बाद एंग्लो अमेरिकन दर्शन की प्रगति रुक गयी थी। इस 20वीं शदी में जॉन रॉल्स ने पुनर्जीवित किया है। रॉल्स ने लॉक, रूसो व कांट के सामाजिक समझौते की परम्परा को संशोधित करके इस अनुशासन को फिर से पुनर्जीवित किया है। उनके लेखों की श्रृंखला का प्रारम्भ 'न्याय उचितता के रूप में' (1958) से और समापन ए थियरी ऑफ जस्टिस (1973) से हुआ है। न्याय का यह सिद्धांत वैध राजनीतिक सत्ता के द्वारा एक नयी रूपरेखा के आरम्भ से निर्धारित होता है। इसका रॉल्स ने दूसरी पुस्तक पॉलिटिकल लिबरलिज्म में निश्चित सूत्रीकरण किया है। रॉल्स ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न्याय पर एक महत्वपूर्ण मोनोग्राफ प्रदान किया है। (रॉल्स 1999) रॉल्स की उपलब्धियां सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर बहस की समकालीन शर्तें निर्धारित करती है।

रॉल्स के न्याय सिद्धांत में एक समतावादी दृष्टि निहित है जो दो न्याय सिद्धांतों, मूल स्थिति, तुलना और न्याय सिद्धांत के औचित्य के लिए एक विधि को शामिल करती है। इसमें स्वतंत्रता व समानता के मूल्य को एक संकल्पना में समाहित किया गया है। स्वतंत्रता को प्राथमिकता देने के कारण समानता के भेद से इसका विवाद भी है। इसमें स्वीकार किया गया है कि स्वतंत्र व समान व्यक्ति सामाजिक सहयोग के लिए इन सिद्धांतों का स्वीकार करेंगे।

जॉन रॉल्स का जन्म बाल्टीमोर में हुआ था उनके पिता विलियम ली रॉल्स प्रख्यात वकील और माता अन्ना एबेल स्टम्प रॉल्स बाल्टीमोर लीग ऑफ वुमेन वोटर्स की अध्यक्ष थी। उन्होंने प्रीसटन विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया। बी.ए. कने के बाद उन्होंने अमेरिकी सेना में सेवाएं दी, फिर 1950 में थिसिस ऑन मोरल प्रिंसीपल्स फोर इंडिविजुअल मोरल जजमेंट पर पीएच.डी. उपाधि अर्जित की। रॉल्स ने एक वर्ष ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बिताया जहां एच.एल.ए. हार्ट और आइजिया बर्लिन कार्यरत थे। रॉल्स ने अपने लम्बे कैरियर में राजनीतिक दर्शन में कई प्रमुख हस्तियों को प्रशिक्षित किया है।

अमेरिकी दार्शनिक जॉन रॉल्स ने बाल्टीमोर में नस्लीय अलगाववाद के अनुभव और अमेरिकी सेना में कार्य के अनुभव के प्रकाश में न्याय, उचितता और समानता के विचारों पर जीवन पर्यन्त कार्य किया। रॉल्स ने नैतिक सिद्धान्तों के ढांचे की पहचान पर ध्यान केन्द्रित किया जिसमें व्यक्तिगत नैतिक निर्णय संभव हो सके। रॉल्स के इन सामान्य नैतिक सिद्धान्तों को न्यायसंगत माना जा सकता है जिनमें निर्णय लेने के लिए आमतौर पर स्वीकृत प्रक्रियाओं का उपयोग कर सहमति व्यक्त की जाती है। इस तरह के कदम लोकतंत्र की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है रॉल्स के विचार में यह चुनाव में मतदान करने के कार्य के बजाय एक बहस और विमर्श की प्रक्रिया थी। इस प्रकार वह लोकतंत्र को सच्चा मूल्य प्रदान करता है।

धन की असमानता –

रॉल्स ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि न्याय के सिद्धान्त केवल एक व्यक्ति के नैतिक रूपरेखा पर आधारित नहीं हो सकता। बकि वे उस तरीके पर आधारित होते हैं जिस तरह से नैतिकता की व्यक्तिगत बोध सामाजिक संस्थाओं में व्यक्त और संरक्षित होती है – जैसे शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा, कर संग्रह प्रणाली और चुनावी प्रणाली। रॉल्स विशेष रूप से उस प्रक्रिया से चिंतित थे जिसमें आर्थिक असमानता राजनीतिक प्रभाव के विभिन्न स्तरों में बदल जाती है जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं की संरचना स्वाभाविक रूप से सम्पन्न व्यक्तियों और निगमों के पक्ष में पक्षपाती हो जाती है।

वियतनाम युद्ध के समय उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण युद्ध कहा था। रॉल्स ने तर्क दिया कि नागरिक अवज्ञा को बहुमत की अंतरात्मा को अपील करने वाली एक उचित अल्पसंख्यक की आवश्यक कार्यवाई के रूप में समझा जाना चाहिए। उसने अनिवार्य सैनिक भर्ती की सरकारी नीति के विरुद्ध तर्क दिया, जिसमें धनी छात्रों को मसौदा तैयार करने की अनुमति मिली, जबकि एक असफल ग्रेड के कारण गरीब छात्रों को सेना में भर्ती होना पड़ता। आर्थिक असमानता का बदलाव भेदभावपूर्ण संस्थाओं के माध्यम से अनिवार्य सैन्य सेवा जैसे में बदल जाता था, यह उसको बहुत परेशान करने वाला था, जब ऐसे संस्थान न्याय के नाम पर नीति लागू करने व क्रियान्वयन का काम करते थे।

‘न्याय उचितता के रूप में’ में उचित की अवधारणा शुभ से पहले है। (जॉन रॉल्स)

रॉल्स के अनुसार, न्याय के सिद्धान्त न्यायी व्यक्ति की नैतिकता से अधिक पर आधारित होने चाहिए। न्याय प्रणाली तैयार करते समय समाज के सम्पूर्ण रूपरेखा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(अ) आर्थिक और सामाजिक असमानताएं अन्याय को जन्म दे सकती है जो अमीर, विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति का कम लाभान्वित पर फेवर कर सकती है।

(ब) इस असंतुलन को हमारे सामाजिक संस्थानों, जैसे स्वास्थ्य सेवा, चुनाव प्रणाली और शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियमों द्वारा ठीक किया जाना चाहिए।

न्याय के सिद्धान्त (Principles of Justices)

रॉल्स के अनुसार, न्याय की विद्यमानता के लिए आवश्यक है उसे समानता के कुछ सिद्धान्तों के अनुसार उचित माना जाना चाहिए। रॉल्स ‘न्याय उचितता के रूप में’ सिद्धान्त में दो मुख्य सिद्धान्तों (प्रिंसीपल) का विकास करता है। पहला, आधारभूत स्वतंत्रता के लिए सभी का समान दावा है। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वे सभी के लाभ के लिए हो और पद और पदानुसंग सभी के खुले हो। प्रथम सिद्धान्त (स्वतंत्रता का सिद्धान्त) को द्वितीय सिद्धान्त (विभेद सिद्धान्त) पर प्राथमिकता दी गई है। उसने यह तर्क देते हुए उचित ठहराने का प्रयास किया है कि सम्यता की प्रगति के कारण आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, तब स्वतंत्रता के प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहां कुछ उदाहरण हैं यदि कोई हैं, जैसे जहां समूह के वृहद् भौतिक संसाधनों के लिए कम स्वतंत्रता को स्वीकार करता है। रॉल्स ने कुछ सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकारों की पहचान ‘धमकी लाभ’ (threat advantages) के रूप में की है। वह इन्हें ‘वास्तविक राजनीतिक शक्ति या धन या मूल वृत्तिदान (native endowments) कहता है; ये कुछ लोगों को एक उचित अंश से अधिक लेने की अनुमति देते हैं। जैसे एक बड़ा विद्यार्थी बड़ा होने के कारण दूसरे विद्यार्थी से लंच बॉक्स छीनकर खा जाता है। असमानता और असमानता पर आधारित हित किसी भी न्याय सिद्धान्त के आधार पर झूठ नहीं बोल सकते। चूंकि असमानताएं किसी भी समाज के यथार्थ का हिस्सा है, इसलिए रॉल्स का निष्कर्ष है कि ‘प्रारम्भिक संविदात्मक स्थिति की परिस्थितियों को समायोजित करके विश्व की मनमानी को सही किया जाना चाहिए। संविदात्मक स्थिति से उसका अर्थ व्यक्तियों के बीच, राज्य की सभी संस्थाओं का व्यक्ति के बीच (जिसमें परिवार भी शामिल है) एक सामाजिक समझौते से है। हालांकि इस सामाजिक अनुबंध में असमान आधार पर व्यक्तियों के बीच के समझौते शामिल है। चूंकि राज्य की प्रत्येक नागरिक के समान जिम्मेदारी है

इसलिए न्याय तभी सुरक्षित रह सकता है जब आधारभूत स्तर से असमानता को सही किया जाए।

रॉल्स के अनुसार इस सुधार को करने में सामाजिक संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं – ये सभी व्यक्ति की समान पहुंच सुनिश्चित कर और पुनर्वितरण तंत्र विकसित करके सभी को बेहतर बनाने में कार्य कर सकती है। वह पुनर्वितरण को उचित बनाने के लिए उदारवाद और उदार लोकतंत्र की राजनीतिक प्रणाली को सबसे उपयुक्त मानता है। उसका विश्वास था कि साम्यवादी प्रणाली पूर्ण समानता पर बहुत अधिक ध्यान देती है वह इस बात पर ध्यान नहीं देती कि क्या समानता प्रत्येक को अधिकतम वस्तुएं प्रदान करती है ? उसने सोचा कि मजबूत सामाजिक संस्थाओं के साथ एक पूंजीवादी प्रणाली में न्याय की उचित प्रणाली प्रदान की अधिक संभावना है। जहां पूंजीवाद स्वयं अनुचित परिणामों को पैदा करता है वहीं न्याय की मजबूत भावना से ओतप्रोत सामाजिक संस्थाएं इसे सही कर सकती है।

‘बहुसांस्कृतिक समाज’

रॉल्स समाज को एक साथ बांधने में न्यायी संस्थाओं की एक और भूमिका देखता है। उसका मानना है कि आधुनिकता के सबसे महत्वपूर्ण सप्तकों में से एक यह है कि इसमें सामान्य नैतिक संहिता को सांझा किए बिना सामान्य नियमों के अधीन एक साथ रहना संभव है – जब तक सभी व्यक्ति समाज की संरचना के लिए एक नैतिक प्रतिबद्धता साझा करते हैं। यदि लोग मानते हैं कि समाज की संरचना उचित है तो लोग अलग-अलग नैतिक संहिता से युक्त होने के बावजूद संतुष्ट होंगे। रॉल्स के अनुसार यह बहुलवादी, बहुसांस्कृतिक समाजों का आधार है और सामाजिक संस्थाएं ऐसी जटिल सामाजिक प्रणालियों में उचितता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।

अज्ञान का पर्दा –

रॉल्स का तर्क है कि प्रारम्भ में, पुनर्वितरण के सिद्धान्तों के लिए ‘अज्ञान के पर्दे’ की आवश्यकता होती है। वह एक ऐसी स्थिति की कल्पना करता है जिसमें एक आदर्श समाज की संरचना निश्चित की जा रही है लेकिन कोई नहीं जानता कि समाज में उसका स्थान क्या होगा। अज्ञानता के पर्दे का अर्थ है कि किसी को भी सामाजिक स्थिति, व्यक्तिगत सिद्धान्त या बौद्धिक या शारीरिक विशेषताओं की जानकारी नहीं है जो उनके पास होगी। वे किसी भी लिंग, यौन अभिविचार, जाति या वर्ग से सम्बन्धित हो सकते हैं। इस तरह अज्ञानता का पर्दा यह तय करता है कि हर कोई सामाजिक स्थिति और व्यक्तिगत विशेषताओं से स्वतंत्र है और न्याय प्रदान किया जाता है, अपनी परिस्थितियों को तय करने वाले खुद को अपनी स्थिति में रखने के लिए खुश होना चाहिए। रॉल्स ने कल्पना की है कि अज्ञानता के पर्दे के पीछे

सामाजिक समझौते का निर्माण आवश्यक रूप से समाज के सबसे कम लाभान्वित सदस्यों को मदद प्रदान करने के लिए किया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक गरीब बनने से डरता है और इसके खिलाफ सुरक्षा स्वीकार करने वाले सामाजिक संस्थाओं का निर्माण करना चाहेगा। रॉल्स स्वीकार करते हैं कि समाज में विभेद बने रहने की संभावना है लेकिन तर्क है कि न्याय का एक उचित सिद्धान्त समाज के सबसे कम लाभान्वित सदस्यों को वृहदतम लाभ प्रदान करेगा। भारतीय सिद्धान्तकार अमर्त्य सेन और कनाडाई मार्क्सवादी जेराल्ड कोहेन सहित अन्य विद्वानों ने इन सिद्धान्तों का पालन करने के लिए एक उदार पूंजीवादी शासन की क्षमता में रॉल्स के विश्वास पर सवाल उठाये हैं। वे आधुनिक समाजों में 'अज्ञानता के पर्दे' के लाभ पर भी सवाल उठाते हैं जहां असमानताएं सामाजिक संस्थानों में गहराई से अंतर्निहित हैं। अज्ञान का पर्दा केवल मूल्य का है।

रॉल्स की आलोचनाएं –

सेन का मानना है कि रॉल्स द्वारा राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के बीच का अंतर गलत है। सेन के अनुसार असमानताएं और अभाव बड़े पैमाने पर वस्तुओं की अनुपस्थिति के बजाय कुछ सामानों पर अधिकार के अभाव के परिणामस्वरूप हैं। वे 1943 के बंगाल अकाल का उदाहरण देते हैं जो भोजन के वास्तविक अभाव के बजाय शहरीकरण द्वारा लाए गए खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण था। वस्तुएं – इस मामले में खाद्य – अपने आप में एक लाभ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसके बजाय, लाभ को लोगों और वस्तुओं के बीच के सम्बन्धों द्वारा परिभाषित किया जाता है – जो लोग उच्च मूल्य पर भोजन वहन कर सकते हैं जबकि इसके विपरीत कुछ नहीं कर सकते।

संदर्भ –

1. नॉजिक, रॉबर्ट (1974), एनार्की स्टेट एण्ड यूटोपिया, ऑक्सफोर्ड : ब्लैकवेल।
2. सेन, अमर्त्य (2009), द आईडिया ऑफ जस्टिस, केम्ब्रिज एम.ए. : द बेल्कनेप प्रेस ऑफ हावर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. कॉहन, गेराल्ड (1995), सेल्फ ऑनरशिप, फ्रीडम एण्ड इक्विलिटी, केम्ब्रिज : केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. रॉल्स, जॉन (1999), ए थियरी ऑफ जस्टिस (सेकण्ड एडिशन) ऑक्सफोर्ड : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
5. रॉल्स, जॉन (1993), पोलिटिकल लिबरलिज्म, न्यूयार्क : कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस।
6. रॉल्स, जॉन (1971), ए थियरी ऑफ जस्टिस, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
7. रॉल्स, जे. (1999), द लॉ ऑफ पिपल्स, केम्ब्रिज एम ए : हावर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
8. रॉल्स जॉन (2001), जस्टिस एज फेयरनेस : ए रिस्टेटमेंट, एडिटेड बाई एरियन केलि, केम्ब्रिज एम.ए. हावर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. ड्राइजेक, जॉन एस, होनिंग,बी. एण्ड फिलिप्स ए. (एडि.) (2006) : द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ पोलिटिकल थियरी, न्यूयार्क : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

सेन आगे तर्क देते हैं कि रॉल्स की परिभाषा में सामाजिक अनुबंध त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यह मानता है कि अनुबंध केवल एक पारस्परिक स्तर पर होता है उनका तर्क है कि सामाजिक अनुबंध में अनेक पार्टी प्रत्यक्षरूप से शामिल नहीं होती है। जैसे-विदेशी, भावी पीढ़ी, यहां तक प्रकृति भी।

मूलभूत विषमता –

जेराल्ड कोहेन उदारवाद में रॉल्स के स्थान पर सवाल उठाते हैं। कोहेन का तर्क है कि स्व-हित अधिकतमकरण के साथ उदारवाद का जुनून, पुनर्वितरण राज्यनीति के समातवादी इरादों के साथ संगत नहीं है जिसका रॉल्स तर्क देता है। वह असमानता को पूंजीवाद के लिए अंतर्भूत रूप में देखता है वह इसको (असमानता) अनुचित राज्य पुनर्वितरण प्रणाली का परिणाम नहीं मानता। कोहेन के अनुसार, पूंजीवाद और उदारवाद कभी भी उचित समाधान प्रदान नहीं कर सकते जो कि रॉल्स समाधान देखता है।

निष्कर्ष –

इन आलोचनाओं के बावजूद, रॉल्सीय न्याय सिद्धान्त राजनीतिक सिद्धान्त के सबसे प्रभावशाली समकालीन कार्यों में से एक माना जाता है। उसकी पुस्तक 'ए थियरी ऑफ जस्टिस' को पथ प्रदर्शक रचना माना जाता है। उसके विचारों ने लोक कल्याणकारी राज्य को पुनर्गठन करने के लिए विश्व भर में कई बहस प्रदान की है। सेन सहित अनेक विचारक इसमें शामिल हैं। सामाजिक और राजनीतिक सिद्धान्त में उनके योगदान को मान्यता देते हुए 1999 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जॉन रॉल्स को नेशनल ह्यूमनिटीज मेडल प्रदान करते हुए कहा था कि रॉल्स के कार्य ने लोकतंत्र में विश्वास को पुनर्जीवित किया है।